

GOVERNMENT OF INDIA,
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, ANDHERI
(E), MUMBAI - 400 096.
Tel: 02228294772, Fax: 28291385/28291754
Email: jdcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

F.No.: SEEPZ-SEZ/ADMN/460/2015-16 Vol-VII/04948

Date :12.04.2023

Sub: Filling up of the Customs Posts

Applications are invited for filling up the following posts in SEEPZ Special Economic Zone, Andheri (E), Mumbai by appointment on deputation.

Sr. No.	Name & pay scale of the post	No. of posts	Eligible Conditions
1.	Appraiser(Customs) (Rs. 9300-34800/-) Grade Pay Rs. 4800/- equivalent to Level 8 of the Pay Matrix under 7 th CPC	01	(*) Officers(s) of the Central Board of Indirect Taxes and Customs:- a. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department. or, (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 6500-200-10500 pre-revised (Pay Band Rs. 9300-34800 and Grade Pay Rs. 4600) or equivalent in the parent cadre or department; and b. Possessing two years' experience in Excise or Customs procedural work.
2.	Preventive Officer (Customs) (Rs. 9300-34800/-) Grade Pay Rs. 4600/- equivalent to Level 7 of the Pay Matrix under 7 th CPC	04	Officers(s) of the Central Board of Indirect Taxes and Customs:- a. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department. or, (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 4500-7000 pre-revised (Pay Band Rs. 5200-20200 and Grade Pay Rs. 2800) or equivalent in the parent cadre or department; and b. Possessing two years' experience in Excise or Customs procedural work.
3.	Examiner (Customs) (Rs. 9300-34800/-) Grade Pay Rs. 4600/- equivalent to Level 7 of the Pay Matrix under 7 th CPC	01	Officers(s) of the Central Board of Indirect Taxes and Customs:- a. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department. or, (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 4500-7000 pre-revised (Pay Band Rs. 5200-20200 and Grade Pay Rs. 2800) or equivalent in the parent cadre or department; and b. Possessing two years' experience in Excise or Customs procedural work.

(*) As per DoPT's Clarification vide ID Note No. 1268489/2017-Estt. (Pay-II) dated 24.10.2017 a person in higher pay scale/grade pay on account of financial up-gradation under MACP/Non-Functional Up-gradation (NFU) or Non-Functional Selection Grade would become eligible for deputation to a post in the lower pay scale / grade pay of ex-cadre post equal to the pay scale/grade of his substantive post in his parent cadre. Further, in accordance with this Department's proposed guidelines on Deputation (Duty) Allowance, if the basic pay in the parent cadre has been upgraded **on account of Non-Functional Up-**

6
24

gradation (NFU), MACP, NFSG etc., the upgraded basic pay under such up-gradations shall not be taken into account for the purpose of Deputation (Duty) Allowance".

Accordingly, applicants who have got non-functional up-gradation in the scale of Level 9 (9300-34800+GP 5400/-) in parent department may also apply for the above said post at **S.No. 1** and if selected, fixation of salary on deputation basis will be accorded as per above clarification.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

2. Tenure of deputation normally is **3 (Three)** years as per DOPT's guidelines.
3. The deputation rules, regulations and provisions as issued from time to time by DoPT shall be applicable. A Government Officer in a higher grade pay/scale shall be ineligible for appointment on deputation to a post in the lower grade pay / scale in terms of DOPT O.M. No. 6/8/2009-Estt (Pay II) dt.17.06.2010.
4. The officers selected will be entitled to transfer T.A and joining time in accordance with the Rules of the Government of India in force.
5. Application on proforma (Annexure-I) of eligible and willing officers who could be relieved in the event of selection along with following documents may be submitted through proper channel:
 - a. Copy of APARs for the last five years duly attested by the competent authority,
 - b. Vigilance Clearance Certificate,
 - c. Integrity Certificate
 - d. Details of penalty, if any, imposed during last 10 years any proceedings pending contemplated.
6. The application shall be considered only after receipt through proper channel.
7. Application found incomplete and in absence of above requirements will not be entertained.
8. Number of post(s) and station of posting may differ depending upon actual requirement at the time of selection and DC, SEEPZ reserves the right to modify and/or withdraw the vacancy circular at any time without assigning any reasons.
9. The Application along with requisite documents may be forwarded to the following address:-

The Development Commissioner,
SEEPZ Special Economic Zone,
Government of India,
Ministry of Commerce & Industry,
SEEPZ Service Centre Building,
Andheri (E), Mumbai-400096.



10. The last date of receipt of names of suitable officers through proper channel is **60 days** from the date of issue of the advertisement on the Employment News. Application received after the due date will not be considered.



12.04.23

(C.P.S. CHAUHAN)
JT. DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ-SEZ, MUMBAI

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

Tel: 02228294772, Fax: 28291385/28291754
Email: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

फ़ा. सं. सीपज़-सेज़/प्रशा/460/2015-16/खंड-VII/104948

दिनांक : 12.04.2023

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति द्वारा सीपज़-सेज़, अंधेरी (पु), मुंबई में निम्नलिखित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रमांक	पद का नाम और वेतनमान	पदों की संख्या	योग्य शर्तें
1.	मूल्य निरूपक (सीमा शुल्क) (रु. 9300-34800/-) ग्रेड पे रु. 4800/- 7वें सीपीसी के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल 8 के समकक्ष	01	(* सीमा शुल्क और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारी:- a. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार के सदृश पद ग्रहण करते हों. अथवा, (ii) पूर्व-संशोधित 6500-200-10500 रुपये (पे बैंड 9300-34800 रुपये और ग्रेड पे 4600 रुपये) के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में तीन साल की सेवा के साथ; और b. उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क में कार्यविधि संबंधी 'दो साल' का अनुभव रखते हों
2.	निवारक अधिकारी (सीमा शुल्क) (रु. 9300-34800/-) ग्रेड पे रु. 4600/- 7वें सीपीसी के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल 7 के समकक्ष	04	सीमा शुल्क और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारी:- a. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार के सदृश पद ग्रहण करते हों. अथवा, (ii) पूर्व-संशोधित 4500-7000 रुपये (पे बैंड 5200-20200 रुपये और ग्रेड पे 2800 रुपये) के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में छह साल की सेवा के साथ; और
3.	परीक्षक (सीमा शुल्क) (रु. 9300-34800/-) ग्रेड पे रु. 4600/- 7वें सीपीसी के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल 7 के समकक्ष	01	b. उत्पाद शुल्क में या सीमा शुल्क में कार्यविधि संबंधी दो साल का अनुभव रखते हों

12/4

(* आईडी नोट संख्या 1268489/2017-स्था (वेतन-II) दिनांक 24.10.2017 के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी - DoPT) के स्पष्टीकरण के अनुसार एमएसीपी / गैर कार्यात्मक उन्नयन के तहत वित्तीय उन्नयन के कारण उच्च वेतनमान/ग्रेड पे (एनएफयू) या गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड अपने मूल संवर्ग में अपने मौलिक पद के वेतनमान/ग्रेड के बराबर संवर्ग बाह्य पद के निचले वेतनमान/ग्रेड वेतन में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता पर इस विभाग के प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि मूल संवर्ग में मूल वेतन गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एनएफयू), एमएसीपी, एनएफएसजी आदि के कारण अपग्रेड किया गया है, तो इस तरह के उन्नयन के तहत अपग्रेड किए गए मूल वेतन को प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।" तदनुसार, जिन आवेदकों को मूल विभाग में लेवल 9 (9300-34800 + जीपी 5400/-) के वेतनमान में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्राप्त हुआ है, वे उपरोक्त पद के लिए क्रमांक 1 पर आवेदन कर सकते हैं और यदि चयनित हुए, तो वेतन निर्धारण प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार दिया जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा होगी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक न हो।)

2. प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल सामान्य रूप से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी - DoPT) के दिशानिर्देशों के अनुसार 3 (तीन) वर्ष है।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी - DoPT) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रतिनियुक्ति नियम, विनियम और प्रावधान लागू होंगे। उच्च ग्रेड वेतन/मान में एक सरकारी अधिकारी डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था (वेतन II) दिनांक 17.06.2010 के अनुसार निम्न ग्रेड वेतन/मान में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।

4. चयनित अधिकारी भारत सरकार के लागू नियमों के अनुसार स्थानांतरण यात्रा भत्ता और कार्यभार ग्रहण करने के हकदार होंगे।

5. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पात्र और इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें चयन की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन प्रोफार्मा (अनुलग्नक-1) पर उचित माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

अ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले पांच वर्षों के एपीएआर की प्रति।

ब) सतर्कता मंजूरी प्रमाणपत्र

क) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र

ड) पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी भी लंबित कार्यवाही के दौरान लगाए गए दंड का विवरण यदि कोई विचाराधीन है।

6. उचित माध्यम से प्राप्त होने के बाद ही आवेदन पर विचार किया जाएगा।

7. उपरोक्त आवश्यकताओं के अभाव में और आवेदन अपूर्ण पाए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।


8. चयन के समय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पदों की संख्या और पोस्टिंग का स्थान भिन्न हो सकते हैं और विकास आयुक्त, सेज़ बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रिक्ति परिपत्र को संशोधित करने और/या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

9. आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:

12/5

विकास आयुक्त,
सीप्लू विशेष आर्थिक क्षेत्र,
भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
सीप्लू सेवा केंद्र भवन,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

10. उपयुक्त अधिकारियों के नाम प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पर विज्ञापन जारी होने की तिथि से 60 दिन है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।



(सी.पी.एस. चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्लू-सेज़, मुंबई

जीवन वृत्त

1	कार्यालय का नाम तथा पता (स्पष्ट अक्षरों में)					
2	जन्म तारीख					
3	केंद्र / राज्य सरकारी नियमों के तहत सेवा निवृत्ति की तारीख					
4	शैक्षिक अहर्ताएं					
5	वर्तमान मूल वेतन					
6	नियमित आधार पर धारित पद तथा वेतनमान (पूर्व संशोधित) तथा इस पद पर नियमित नियुक्ति की तारीख					
7	स्थायी पद वेतनमान के साथ (पूर्व संशोधित) तथा स्थायीकरण की तारीख					
8	कालक्रम से पदों का विवरण (यदि नीचे स्थान पर्याप्त न हों, तो अपने हस्ताक्षर से विधिवत अभिप्रमाणित अलग शीट संलग्न करें।					
क्रम संख्या	कार्यालय / संगठन का नाम	धारित पद	से	तक	वेतनमान तथा मूल वेतन	कर्तव्यों की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7
9	वर्तमान पद की प्रकृति अर्थात् क्या यह तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायी है					
10	यदि वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर हो, तो कृपया उल्लेख करें:- (क) वर्तमान धारित पद की तारीख (ख) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि (ग) मूल कार्यालय / संगठन का नाम					
11	वर्तमान कार्य के संबंध में अतिरिक्त ब्यांरा कृपया उल्लेख करें कि क्या (क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय के अधीन कार्य कर रहे हैं।					

12	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जो आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहते हैं। (यदि स्थान अपर्याप्त हो, तो अलग शीट में विवरण दिया जाए।)	
13	क्या आप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के हैं।	

ठिकाना :

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

पता:

फोन नंबर

मोबाइल नंबर:

ई-मेल

(नियोक्ता के प्रतिहस्ताक्षरित)

BIO DATA

1	Name and office address (In Block Letters)					
2	Date of Birth					
3	Date of retirement under Central/State Government Rules					
4	Educational Qualification					
5	Present Basic Pay					
6	Post held on regular basis with Scale of pay (pre-revised) and date of appointment there to the regular basis					
7	Permanent post held with Scale of Pay (pre-revised) and date of confirmation					
8	Details of Employment in Chronological order (enclosed a Separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is not sufficient):					
SI No.	Name of the Office / Organization	Post held	From	To	Scale of pay and Basic Pay	Nature of Duties
1	2	3	4	5	6	7
9	Nature of Present employment i.e. whether adhoc or temporary or permanent					
10	In case of the Present employment is held on deputation basis; please state; (a) Date of appointment to the present post (b) Period of appointment on deputation (c) Name of the parent office / organization to which you belong					
11	Additional details about present employment. Please state whether working under; (a) Central Government					

	(b) State Government (c) Autonomous Organization (d) Government Undertaking (e) University	
12	Additional information if any, which you would like to mention in, support of your suitability for post (Enclose a separate sheet, if space is not sufficient)	
13	Whether belongs to SC/ST	

Place : _____

Date : _____

Signature of Candidate

Address @:

Phone (O)

Mobile No. :

E-mail :

(Countersigned)

(Employer)